

सीएसआईआर-केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान पिलानी (राज.)

सं.: 9/8/2021-CR

दिनांक: 23.12.2021

कार्यालय ज्ञापन

विषय: संस्थान के कर्मचारियों/ अधिकारियों की अनुपलब्ध अपार/ओ-अपार की ग्रेडिंग शून्य किये जाने के संबंध में।

संस्थान के कार्यालय ज्ञापन सं. सी.आर./एपीएआर/2021 दिनांक 01.04.2021, दिनांक 07.07.2021 तथा दिनांक 16.09.2021 द्वारा सभी कर्मचारियों/अधिकारियों को अपनी अपार/ओ-अपार/PMS अपने रिपोर्टिंग अधिकारी/सी.आर प्रकोष्ठ में आवश्यक रूप से एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करने हेतु कहा गया था। लेकिन निम्न अधिकारियों/ कर्मचारियों(सूची संलग्न) की अपार/ओ-अपार आज दिनांक 23.12.2021 तक सी.आर प्रकोष्ठ को प्राप्त नहीं हुई हैं।

सीएसआईआर के पत्र सं. 15-3/1/71(2006) दिनांक 10.04.2006 के पैरा (d) के अनुसार रिपोर्टिंग/रिव्यूइंग अधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित करने की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी की, उनके पार्ट पर कोई कार्रवाई नहीं करने की वजह से, निर्धारित शिड्यूल के अनुसार अपार/ओ-अपार पूर्ण करने में कोई देरी नहीं हुई है।

सीएसआईआर के पत्र सं.17/66/94-PPS दिनांक 26.03.2002 पैरा (c) के अनुसार, जिस अधिकारी ने अपना स्व-मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया वो उस संबंधित अवधि की अपार/ओ-अपार के लिए कोई अंक प्राप्त नहीं करेगा।

तदनुसार, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुपलब्ध अपार/ओ-अपार/PMS(पूर्व के वर्षों सहित) की ग्रेडिंग शून्य किये जाने का निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है तथापि सक्षम प्राधिकारी ने संबंधित कर्मचारियों/ अधिकारियों को अंतिम अवसर देते हुए अनुपलब्ध अपार/ओ-अपार/PMS को दिनांक 29.12.2021(बुधवार) तक, सी.आर प्रकोष्ठ में स्वीकार करने की स्वीकृति प्रदान की है। उक्त तिथि तक अपार/ओ-अपार/PMS प्राप्त न होने की स्थिति में अपार/ओ-अपार/PMS की ग्रेडिंग शून्य करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी जायेगी।

प्रतिलिपि:

1. समस्त संबंधित कर्मचारी/ अधिकारी;
2. निदेशक/प्रशासनिक अधिकारी के कार्यालय
3. समस्त संबंधित रिपोर्टिंग/ रिव्यूइंग अधिकारी;
4. सूचना पट्ट;
5. एन.एम.सी. - संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।

Signature valid

Digitally signed by Krashna Raj Singh
Date: 23-Dec-2021 13:08:26
Location: Pilani
Designation: Section Officer

